

दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ /10/2022

फ्लाई लीफ सं.10/2022

ध्यान दें सर्व संबंधित.

शीतकालीन पूर्वोपाय (सहायक नियम 3.61)

सामान्य:

1. सभी सिगनल चेतावनी बोर्ड, सीटी बोर्ड, कोहरा सिगनल पोस्ट और व्यस्त संवेदनशील समपार फाटक, जो दुर्घटना संभावित हैं, को पेंट किया जाए या पीले/काले चमकदार स्ट्रिप्स लगाए जाए. उनकी सही दृश्यता के लिए पुनः रंगाई का कार्य सर्दी/कोहरे के मौसम के आरंभ होने से पहले पूरा किया जाए.
2. वर्तमान एसएलआर में पहले से ही एलईडी आधारित पिछली कौंध बत्ती लगाई गई हैं. अतः स्थावर लाल बत्ती वाले वर्तमान एसएलआर को भी संशोधित किया जाए और उनमें भी एलईडी बत्ती लगाई जाए. यह कोहरे के मौसम में संरक्षा सुनिश्चित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा.

स्टेशन मास्टर (एकल दूरस्थ सिगनल क्षेत्र पर कार्यचालन)

कोहरे और तूफानी मौसम में, जब स्टेशन संचालन नियम के अनुसार दृश्यता जांच वस्तु दिखाई न दे, तो निम्नलिखित सुनिश्चित करें;

1. गाडी को लाइन क्लियर देने से पहले वीडियो को ध्यान से देखें.
2. पटाखों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें.
3. निम्न परिस्थितियों में लोको पायलट को 'रोक सिगनल का स्थान' बताने के लिए पटाखे रखने की आवश्यकता नहीं है :-
 - a. उन सेक्शनों में जहां इंजन पर विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा साधन उपलब्ध कराया गया हो और मंडल प्राधिकारियों द्वारा स्टेशनों को अधिसूचित किया गया हो;
 - b. जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराई गई हो; अर्थात् उन स्टेशनों पर जहां दोहरे दूरस्थ सिगनल की व्यवस्था हो;
 - c. स्टेशन सेक्शन जहां अनुमत अधिकतम गति 15 किमी प्रति घंटे तक है, ऐसा उन स्टेशनों पर भी है, जहां पूर्व-चेतावनी सिगनल उपलब्ध नहीं है लेकिन एक चेतावनी बोर्ड लगा है;
 - d. जहां सेक्शन की गति 50 किमी प्रति घंटे से कम (लेकिन 15 किमी प्रति घंटे से अधिक) है और स्टेशन का पहला सिगनल रोक सिगनल नहीं है;
 - e. स्वचालित सिगनल क्षेत्र में;
 - f. फाटक सिगनल पर;
 - g. प्रस्थान सिगनल पर;
 - h. रेलपथ/ऊपरी उपस्कर/सिगनल के अनुरक्षण के कारण लगाए गए अस्थायी गति प्रतिबंध के स्थल (स्थलों) पर;
3. जहां पटाखे रखना आवश्यक है, वहां प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे स्थित कोहरा सिगनल खंभे पर 2 पटाखे रखने के लिए दो नामित कोहरा-सिगनलमैन को प्रतिनियुक्त करें.

- a. "ए" कोटि स्टेशनों पर जहां वार्नर उपलब्ध है वहां पटाखों को निकट सिगनल से कुछ दूरी पर रखा जाए न कि वार्नर के;
- b. लोअर क्वार्टर सिगनलों से लैस "बी" कोटि स्टेशन पर - पटाखों को बाहरी सिगनल से कुछ दूरी पर रखा जाए;
- c. बहु पहलु सिगनल व्यवस्था में, जहां एकल दूरस्थ उपलब्ध है - पटाखों को निकट सिगनल से कुछ दूरी पर रखा जाए.

टिप्पणी: कोहरा सिगनल पोस्ट केवल उन स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएं जहां पटाखे लगाने की आवश्यकता हो सकती है. अतः ऐसे पोस्ट का उपर्युक्त स्थिति (स्थितियों) के आधार पर उपयुक्त रूप से स्थान बदला जाए.

4. लाइन क्लियर तब तक न दें, जब तक कि कोहरा सिगनलमैन द्वारा वाँकी-टॉकी पर यह सूचना प्राप्त न हो कि उसने पटाखे रख दिए हैं. वाँकी-टॉकी सेट के काम न करने या उपलब्ध न होने के मामले में, कोहरा सिगनलमैन के प्रस्थान से 30 मिनट बाद केवल पहली गाडी को ही लाइन क्लियर दिया जाए.
 - a. जब स्टेशन की सभी रनिंग लाइनें अवरुद्ध हों, तब लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी कर ली जाने के बाद भी लाइन क्लियर न दें.
 - b. गाडी को लाइन क्लियर देने के बाद गैर-पृथक लाइनों पर शंटिंग न करें.
 - c. आगे बढ़ने के प्राधिकार की प्रतीक्षा कर रही गाडी को तब तक आगे न बढ़ाएं और तब तक प्रस्थान व अग्रिम प्रस्थान सिगनलों के बीच खडा न करें, जब तक कि उस भाग रेलपथ परिपथित या धुरा काउंटरयुक्त न कर दिया गया हो.

लोको पायलट

1. अधिक कोहरे और तूफानी मौसम में, जहां भी इंजन में कोहरा संरक्षा साधन उपलब्ध है, वहां यह सुनिश्चित करें कि संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली में गाडी की गति 75 किमीप्रघं से अधिक न हो. स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में, स्वचालित रोक सिगनल को 'हरे' पहलू पर पार करते समय गति 75 किमीप्रघं से अधिक न हो, 'दोहरे पीले' पहलू को पार करते समय गति 30 किमीप्रघं से अधिक न हो तथा आगे और अधिक प्रतिबंधित गति से बढे ताकि स्वचालित रोक सिगनल को 'पीले' पहलू पर पार करते समय अगले रोक सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रहे.

टिप्पणी:

- i. इंजन में कोहरा संरक्षा साधन उपलब्ध न होने या मार्ग में साधन के खराब होने के मामले में लोको पायलट के निर्णयानुसार 75 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति को 60 किमी प्रति घंटा तक या उससे कम किया जाए.
 - ii. साधारण नियम 4.16 (1) (बी) में दिए अनुसार, कोहरे में अंतिम वाहन जांच साधन को इंगित करने के लिए दिन या रात के दौरान कौंधती लाल बत्ती प्रदर्शित करने के लिए अनुमोदित डिजाइन की एक लाल पिछली बत्ती उपलब्ध कराई जाए और इसे अंतिम वाहन पर प्रकाशित किया जाए.
 - iii. प्रत्येक लोको पायलट को प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल स्थान कि.मी. चार्ट को या तो आसानी से ले जाने वाले कार्ड या डब्ल्यूटीटी के रूप में उपलब्ध कराया जाएं.
 - iv. साइनिंग ऑन के दौरान लॉबी में कर्मिदल और गाडी प्रबंधक (गार्ड) को वर्तमान कोहरे की स्थिति की जानकारी दी जाए.
2. कोहरे की सघनता के आधार पर, यदि आवश्यक हो, गति को आगे और अधिक नियंत्रित करें.
 3. जांच करें कि रेल इंजन की शीर्ष बत्ती, कौंध बत्ती, वाइपर, सैंडर आदि कार्य चालन स्थिति में हैं.

4. कोहरे के मौसम में शीर्ष बत्ती को 'ऑन' करें.
5. फाटकवाला (जहां उपलब्ध हो) और सड़क उपयोगकर्ताओं को समपारों पर आने वाली गाड़ियों के बारे में चेतावनी देने के लिए लोको पायलट बार-बार सीटी बजाए;
6. जब भी गाड़ी प्रथम रोक सिगनल पर 5 मिनट से अधिक समय तक रुकती है, तो प्रतीक्षा कर रही गाड़ी के बारे में स्टेशन मास्टर को सतर्क करने के लिए स्टेशन/केबिन में सहायक लोको पायलट को प्रतिनियुक्त करें.

गाड़ी प्रबंधक (गाड़ी)

1. यह सुनिश्चित करें कि लाल कौंध बत्ती को दिन के दौरान भी कार्य चालन स्थिति में रखा जाता है.
2. जब गाड़ी स्वचालित क्षेत्र में रुक जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि पिछली लाल कौंध बत्ती के साथ पिछली लाल बत्ती (यदि एसएलआर/एलआर/वीपीयू/आईसी अंतिम वाहन के रूप में हो) को भी ऑन किया जाता है.

सिगनल व दूरसंचार पदाधिकारी

1. यह सुनिश्चित करें कि शीतकाल आरंभ होने से पहले सिगनल चेतावनी बोर्डों को पुनःपेंट किया गया है.
2. यह सुनिश्चित करें कि सिगनल चेतावनी बोर्ड (दोहरे दूरस्थ सिगनल क्षेत्र में दूरस्थ सिगनल के पास) के पास रेलपथ के आर-पार चूने से मार्किंग की गई है.

कर्षण वितरण पदाधिकारी:

1. यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार रोक सिगनल की पहचान के लिए Σ (सिग्मा) आकार में रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप उपलब्ध कराए गए हैं .

वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ)

1. शीतकाल में गश्त लगाने और झलाई की खराबियों/पटरी में दरारों के मामले में तत्पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में ट्रैकमैन को शिक्षित करें.
2. यह सुनिश्चित करें कि गैंग और गश्ती को पूरे सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं.
3. यह सुनिश्चित करें कि पटरियों/झलाई का अल्ट्रासॉनिक जांच अनुसूची के अनुसार की गई है और खराब पटरियों/झलाई को प्रतिस्थापित किया गया है.
4. पेट्रोलमैन/कीमैन को यह अनुदेश दिए जाएं कि वे पटरियों पर दैनिक गश्त के दौरान किसी भी पटरी/झलाई की खराबी पर निगरानी रखें.
5. जहां पर बोल्टों को खींच कर निकालने के कारण बड़ी दरारें आ गई हैं, वहां क्रिपों को बाहर खींचें.
6. लंबी झली पटरियों और अन्य पटरियों की शीतकालीन गश्त की जाए, वसेइंजी/कइंजी द्वारा रेल तापमान सहित लंबी झली पटरियों की सभी प्रकार की दरार और कट का रिकार्ड रखा जाए.
7. गति प्रतिबंध लागू किए बिना लंबी झली पटरियों में किसी भी फिश प्लेटेड ज्वाइंट की अनुमति न दें.
8. लंबी झली पटरियों में अत्यधिक दरारों और छोटी झली पटरियों में एसईजी की तत्काल जांच की जाए और अविलंब उपयुक्त सुधारक कार्रवाई की जाए.
9. उपर्युक्त के अलावा, सीटीई द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाए.

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे